कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/विधि/रीडर/2015/ 117 नया रायपुर, दिनांक : 07/01/2015

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं समस्त,
जिला ..... (छ.ग.)

विषयः– सहकारी संस्थाओं के निलंबन/अतिष्ठान के संबंध में।

संदर्भ :– 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक 4692/2013 में पारित निर्णय
2. कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक/विधि/2014/5611, रायपुर दिनांक 20.11.2014.

––00––

संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, जिसमें सहकारी संस्थाओं के निलंबन/अतिष्ठान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं तथा उक्त कार्यवाहियों में अधिनियम/नियमों का पूर्णतः पालन करने की अपेक्षा की गई है, परन्तु छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 3 में उल्लेखित पंजीयक की सहायता करने हेतु परिभाषित अधिकारियों के द्वारा पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान सहकारी समितियों के बोर्ड का अतिष्ठान करने संबंधी कार्यवाही में विधिसम्मत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं करने से विधिक जटिलताओं में वृध्दि हो रही है।

सहकारी संस्थाओं के बोर्ड के अतिष्ठान के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक/4692/2013 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2013 में दिये गये सामान्य दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं :–

"36. Further, we are inclined to give the following general direction in view of the mushrooming of cases in various Courts challenging orders of supersession of elected Commitees:

(1) Supersession of an elected managing Committee/Board is an expception and be resorted to only in exceptional circumstances and normally elected body be allowed to complete the term for which it is elected.

(2) Elected Committee in office be not penalised for the shortcomings or illegalities commited by the previous Committee, unless there is any deliberate inaction in rectifying the illegalities commited by the previous committee.

(3) Elected Committee in Office be given sufficient time, say at least six months, to rectify the defects,if any pointed out in the audit report with regard to incidents which originated when the previous committee was in office.

(4) Registrar/Joint Registrar are legally obliged to comply with all the statuatory formalities, including consultation with the financing banks/Controlling Banks etc. Only after getting their view, an opinion be formed as to whether an elected Committee be ousted or not.

(5) Registrar/Joint Registrar should always bear in mind the consequence of an order of supersession which has the effect of not only ousting the Board out of office, but also disqualify them for standing for election in the succeeding elections. Registrar/Joint Registrar therefore is duty bound to exercise his powers bonafide and not on the dictation or direction of those who are in power.

(6) Registrar/Joint Registrar shall not act under political pressure or influence and, if they do, be subjected to disciplinary proceedings and be also held personally liable for the cost of the legal proceedings.

(7) Public money not to be spent by the State Government or the Registrar for unnecessary litigation involving disputes between various faction in a co-operative society. Tax payers money is not expected to be spent for settling those disputes. If found necessary, the same be spent from the funds available with the concerned Bank."

अतः सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित संचालक मण्डल/बोर्ड के अतिष्ठान से संबंधित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुपालन में की जाने वाली कार्यवाहियों में प्रकरण की विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उल्लेखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपील प्रकरण क्रमांक 4692/2013 में पारित निर्णय की प्रति।

7.1.15

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/विधि/रीडर/2015/ 117 नया रायपुर, दिनांक : 07/01/2015

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ..... की ओर प्रेषित कर लेख है कि ज्ञापन की प्रति संबंध्द सभी समितियों में उपलब्ध करावें।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़